

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सीकर

क्रमांक

दिनांक

श्रीमान् उपवन संरक्षक,  
सीकर।

विषय:- Diversion of 6.35 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD, Sikar Rajasthan for renewal, widening & strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village Antri, Tehsil- Dhod, District- Sikar

**Proposal No. FP/RAJ/ROAD/29601/2017**

संदर्भ:-आपका पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 7661 दिनांक .30.03.2021 से प्रस्तुत की गई है। आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में अवशेष शर्तों की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	The User Agency shall provide the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars on CA land in Advance with the forest department.	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित डीएफएल का सर्वे, डिमार्केशन एवं स्थायी पिल्लर यूजर एजेंसी द्वारा स्वयं के खर्चे से बनाये जायेंगे। इस संबंध में अंडरटेकिंग संलग्न है।
2.	User agency shall restrict the felling of the trees to the minimum number in the diverted forest land, the trees shall be filled under the strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	शर्त सं. 02 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि पर खड़ी वन सम्पदा का विदोहन कम से कम किया जायेगा। यदि आवश्यकता होने पर ही प्रयोक्ता अभिकरण के स्वयं के खर्चे पर पेड़ों का विदोहन किया जायेगा। इस संबंध में अंडरटेकिंग संलग्न है।
3.	User agency shall provide the cost of strip plantation on both sides of road as per IRC norms, and also the cost of maintenance of raised plants (up to 10 years.)	शर्त सं 03 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के खर्चे पर सड़क के दोनों ओर उपलब्ध भूमि पर इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्मस के अनुसार सड़क किनारे वृक्षारोपण कराये जायेंगे। इस संबंध में अंडरटेकिंग संलग्न है।
4.	Speed regulating signage will be erected along the roads at regular intervals in the Protected Area/forest areas.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर निर्धारित अंतराल पर गति नियमों के सूचनापट्ट मौके पर लगाये जायेंगे। इस संबंध में अंडरटेकिंग संलग्न है।



(गोपालराम)


अधिशाषी अभियन्ता  
नि. वि. खण्ड, सीकर

5 इंची पाफ डी।

Pls Rec 27/07/21

5	The User agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area/ Forest Areas as per recommendations of CWLW/NBWI/FAS /REC.	शर्त सं. 05 की पालना में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में वन्य जीवों के आवागमन हेतु आवश्यक अंडर पास/ओवर पास यूजर एजेंसी द्वारा बनाये जायेंगे। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।
6.	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	यूजर एजेंसी द्वारा इस प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रावधान है तो नियमानुसार प्राप्त कर ली जायेगी। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।
7.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे लेबर का कोई कैम्प फोरेस्ट एरिया में नहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।
8.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provide by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department on the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों को लकड़ी के अलावा अन्य ईंधन वन विकास कार्पोरेशन या अन्य किसी वैध स्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।
9.	No Additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य व निर्माण सामग्री के लाने लेजाने हेतु वन भूमि के अंदर अन्य कोई रास्ता नहीं बनाया जायेगा। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।
10.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रत्यावर्तित वन भूमि को निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।
11.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रत्यावर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति/एजेंसी/विभाग को स्थानान्तरित नहीं की जायेगी। इस संबंध में अंडरटैकिंग संलग्न है।

अतः उक्त अधिरोपित शर्तों के क्रम में बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 05 प्रतियों में श्रीमान् को सादर प्रेषित है।

भवदीय  
  
 (गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता  
 सा.नि.वि., खण्ड, सीकर  
 दिनांक 26-07-21

क्रमांक

1171-72

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त सीकर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

अधिशाषी अभियन्ता  
 सा.नि.वि., खण्ड, सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड़ (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज. /06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित डीएफएल का सर्वे, डिमार्केशन एवं स्थायी पिल्लर यूजर एजेंसी द्वारा स्वयं के खर्चे से बनाये जायेंगे।”

(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि., खण्ड, सीकर


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड़ (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज. /06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रत्यावर्तित वन भूमि पर खड़ी वन सम्पदा का विदोहन कम से कम किया जायेगा। यदि आवश्यकता होने पर ही प्रयोक्ता अभिकरण के स्वयं के खर्चे पर पेड़ों का विदोहन किया जायेगा।”

  
(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि., खण्ड, सीकर



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेथनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज. /06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के खर्चे पर सड़क के दोनों ओर उपलब्ध भूमि पर इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्मस के अनुसार सड़क किनारे वृक्षारोपण कराये जायेंगे। ”

(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड़ (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रत्यावर्तित वन भूमि पर निर्धारित अंतराल पर गति नियमों के सूचनापट्ट मौके पर लगाये जायेंगे। “

  
(गोपाल राम)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि., खण्ड, सीकर



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेथनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में वन्य जीवों के आवागमन हेतु आवश्यक अंडर पास/ओवर पास यूजर एजेंसी द्वारा बनाये जायेंगे। ”

(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“यूजर एजेंसी द्वारा इस प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रावधान है तो नियमानुसार प्राप्त कर ली जायेगी। ”

  
(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड़ (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे लेबर का कोई कैम्प फोरेस्ट एरिया में नहीं लगाया जायेगा। ”

(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रत्यावर्तित वन भूमि पर सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों को लकड़ी के अलावा अन्य ईंधन वन विकास कार्पोरेशन या अन्य किसी वैध स्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगा। ”

  
(गोपाल सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड़ (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रत्यावर्तित वन भूमि के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य व निर्माण सामग्री के लाने लेजाने हेतु वन भूमि के अंदर अन्य कोई रास्ता नहीं बनाया जायेगा। ”

(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

## अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रत्यावर्तित वन भूमि को निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जायेगा। ”

  
(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि., खण्ड, सीकर



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

अण्डर टेकिंग

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 हैक्टर फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेथनिंग ऑफ सीकर हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी 8/750 से 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर।

श्रीमान् उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आपके पत्रांक 7641 दिनांक 22.07.2021 के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रत्यावर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति/एजेंसी/विभाग को स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।”

  
(गोपाल राम)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि., खण्ड, सीकर